न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बाह्य न्यायालय मोहम्मदी, लखीमपुर–खीरी।
उपस्थितः दिनेश कुमार गौतम.....(उच्चतर न्यायिक सेवा)।
सी0एन0आर0नं0–यू0पी0एल0पी0 070001182018
सत्र परीक्षण संख्या–362 / 2018
कम्प्यूटर रजि0नं0–362 / 2018

राज्य उ0प्र0.....अभियोगी।

बनाम

अरविन्द कुमार उर्फ मुन्ना पुत्र नरेशचन्द्र शुक्ला, निवासी ग्राम पसगवां, थाना पसगवां, जिला लखीमपुर–खीरी।

.....अभियुक्त।

मु0अप0सं0–240 / 2001,
धारा–376,323,504,506 भा0दं0सं0,
थाना–पसगवां, जिला लखीमपुर–खीरी।

निर्णय

1. प्रस्तुत सत्र परीक्षण पत्रावली इस न्यायालय को माननीय जिला सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर–खीरी के आदेश के अनुपालन में स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को सत्र विचारण हेतु प्राप्त हुई है।

2. मु0अप0सं0–240 / 2001 में थाना पसगवां, जिला लखीमपुर–खीरी की पुलिस द्वारा विवेचना पश्चात् अभियुक्त के विरूद्व धारा–376,323,504,506 भा0दं0सं0 में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मीना देवी शुक्ला ने थाना पसगवां, जिला लखीमपुर–खीरी में इस आशय की लिखित तहरीर प्रस्तुत की है कि वादिनी की शादी आज से लगभग 07 वर्ष पूर्व धर्मेन्द्र कुमार शुक्ला पुत्र नरेशचन्द्र शुक्ला, निवासी ग्राम पसगवां, थाना पसगवां, जिला खीरी के साथ सम्पन्न हुई थी। शादी के लगभग 08 माह बाद ही प्रार्थिनी के पति का स्वर्गवास हो गया था, तब से वादिनी अपनी ससुराल में ही रहकर अपना जीवन–यापन कर रही है। 10 सितम्बर 2001 को रोज की भांति वादिनी खाना–पीना खाकर अपने कमरे में लेटी थी तथा कमरे में डिब्बी जल रही थी, समय करीब रात 10:30 बजे दरवाजे पर कुछ खड़बड़ाहट की आवाज हुई। वादिनी उठी कि इतने में वादिनी के जेठ अरविन्द कुमार उर्फ मुन्ना पुत्र नरेशचन्द्र कमरे के अन्दर घुस आये और जबरदस्ती बिना वादिनी की मर्जी के वादिनी के साथ बलात्कार किया। वादिनी ने चिल्लाना चाहा, तो वादिनी का मुंह दबा कर कहा कि यदि चिल्लाओगी या किसी से कहा, तो जान से मार देंगें तथा तुम्हारी लाश भी गायब कर देंगें। यहॉ तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। उस समय वादिनी की जेठानी व उनके बच्चे मायके गये हुए थे। उक्त घटना के सम्बन्ध में वादिनी ने अपनी सास को बताया, परन्तु उन्होंने कहा कि जो हो गया ठीक है, किसी से बताना मत, वरना जान से मरवादूॅगी। सारी घटना में सास का पूर्ण सहयोग रहा। उसके पश्चात वादिनी के जेठ अक्सर वादिनी के साथ वादिनी की

बिना मर्जी अवैध शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करते रहे। जिस वजह से वादिनी के जेठ का बच्चा रह गया। दिनांक 20.10.2001 को वादिनी का भाई श्रीकान्त मिश्र जब वादिनी की ससुराल आये, तो वादिनी ने सारी बात अपने भाई से बतायी, तब वादिनी के भाई ने उपरोक्त बात सभी घर वालों के समक्ष रखी, तब वादिनी के सास–ससुर ने वादिनी के भाई को अपमानित करके भगा दिया तथा दिनांक 21.10.2001 को वादिनी को रात्रि करीब 09 बजे पहने हुए कपड़ों में ही वादिनी की सास, ससुर व जेठ ने मिलकर मार–पीटकर तथा अपमानित करके घर से निकाल दिया तथा कहा कि दुबारा यहां आ गयी, तो तुम्हे जाने से मार देंगें। वादिनी उक्त घटना की रिपोर्ट लिखाने थाने गयी थी, परन्तु वादिनी की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी।

4. विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा नक्शा–नजरी बनाई गई, सम्बन्धित साक्षीगण के बयान अंकित किये गये और एकत्रित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्व आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं01, लखीमपुर–खीरी द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया तथा मामले को दर्ज रजिस्टर किया गया।

5. अन्तर्गत धारा–207 द0प्र0सं0 में अभियुक्त को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें दी गयीं। मामला सत्र परीक्षणीय होने के कारण सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया तथा उक्त मामला सत्र न्यायालय में प्राप्त होने पर सत्र परीक्षण संख्या–362/2018 पर दर्ज हुआ।

6. आरोप के बिन्दु पर अभियोजन तथा अभियुक्त पक्ष की सुनवाई की गयी। अभियुक्त के विरूद्व दिनांक–14.05.2019 को अन्तर्गत धारा–376,323,504,506 भा0दं0सं0 में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की।

7. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन को साबित करने के लिये मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू01 मीना देवी, पी0डब्लू02 आशुतोष शुक्ला, पी0डब्लू03 उपेन्द्र पाण्डे उर्फ रामू व पी0डब्लू04 डा0 लिली सिंह का साक्ष्य में परीक्षण कराया गया।

8. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिए जाने के कारण औपचारिक साक्षियों को अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य हेतु पेश नहीं किया गया।

9. अभियोजन साक्ष्य सम्पन्न होने के उपरान्त अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 दिनांक 22.05.2026 को अंकित किया गया। अभियुक्त को प्रतिरक्षा साक्ष्य का पूर्ण अवसर दिया गया, किंतु अभियुक्त ने अपने बचाव में कोई सफाई साक्ष्य मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

10. अभियोजन की ओर से उपस्थित सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक् अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।

11. अभियोजन पक्ष ने बहस करते हुए कहा है कि वादिनी की शादी आज से लगभग 07 वर्ष पूर्व धर्मेन्द्र कुमार शुक्ला पुत्र नरेशचन्द्र शुक्ला, निवासी ग्राम पसगवां, थाना पसगवां, जिला खीरी के साथ सम्पन्न हुई थी। शादी के लगभग 08 माह बाद ही प्रार्थिनी के पति का स्वर्गवास हो गया था, तब से वादिनी अपनी ससुराल में ही रहकर अपना जीवन–यापन कर रही है। 10 सितम्बर 2001 को रोज की भांति वादिनी खाना–पीना खाकर अपने कमरे में लेटी थी तथा कमरे में डिब्बी जल रही थी, समय करीब रात 10:30 बजे दरवाजे पर कुछ खड़बड़ाहट की आवाज हुई। वादिनी उठी कि इतने में वादिनी के जेठ अरविन्द कुमार उर्फ मुन्ना पुत्र नरेशचन्द्र कमरे के अन्दर घुस आये और जबरदस्ती बिना वादिनी की मर्जी के वादिनी के साथ बलात्कार किया। वादिनी ने चिल्लाना चाहा, तो वादिनी का मुंह दबा कर कहा कि यदि चिल्लाओगी या किसी से कहा, तो जान से मार देंगें तथा तुम्हारी लाश भी गायब कर देंगें। यहॉ तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। उस समय वादिनी की जेठानी व उनके बच्चे मायके गये हुए थे। उक्त घटना के सम्बन्ध में वादिनी ने अपनी सास को बताया, परन्तु उन्होंने कहा कि जो हो गया ठीक है, किसी से बताना मत, वरना जान से मरवादूॅगी। सारी घटना में सास का पूर्ण सहयोग रहा। उसके पश्चात वादिनी के जेठ अक्सर वादिनी के साथ वादिनी की बिना मर्जी अवैध शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करते रहे। जिस वजह से वादिनी के जेठ का बच्चा रह गया। दिनांक 20.10.2001 को वादिनी का भाई श्रीकान्त मिश्र जब वादिनी की ससुराल आये, तो वादिनी ने सारी बात अपने भाई से बतायी, तब वादिनी के भाई ने उपरोक्त बात सभी घर वालों के समक्ष रखी, तब वादिनी के सास–ससुर ने वादिनी के भाई को अपमानित करके भगा दिया तथा दिनांक 21.10.2001 को वादिनी को रात्रि करीब 09 बजे पहने हुए कपड़ों में ही वादिनी की सास, ससुर व जेठ ने मिलकर मार–पीटकर तथा अपमानित करके घर से निकाल दिया तथा कहा कि दुबारा यहां आ गयी, तो तुम्हे जाने से मार देंगें। अभियुक्त ने उक्त घटना कारित की है। घटना पूर्णतः सही व सत्य है। अभियुक्त को उपरोक्त अपराध करने के लिए दोषसिद्ध करने की प्रार्थना की गई है।

12. बचाव पक्ष का कथन है कि अभियुक्त ने वादिनी के साथ बलात्कार नहीं किया है। न ही वादिनी के साथ मार–पीट की है। न ही गाली–गलौज कर अपमानित किया है और न ही जान से मारने की धमकी देकर अभित्रास कारित किया

है। अभियुक्त ने उक्त घटना कारित नहीं की है। घटना पूर्णतः असत्य है। अभियुक्त पर लगाया गया आरोप झूठा है। अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। विवेचक ने वादिनी मुकदमा से सांठ–गांठ करके गलत विवेचना की है। रंजिशन गलत प्रपत्र तैयार किये गये हैं। अभियुक्त ने कोई घटना कारित नहीं की है। अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

<u>विश्लेषण / विवेचन</u>

13. अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन पक्ष को युक्तियुक्त संदेह से परे यह सिद्ध करना है कि दिनांक 10.09.2001 को समय करीब 10:30 बजे रात, बहद स्थान पसगवां, थाना पसगवां, जिला खीरी में अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा पीड़िता के घर में घुसकर उससे बलात्कार किया। अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा पीड़िता को मार–पीटकर स्वेच्छया उपहति कारित की। अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा पीड़िता को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय अपमानित किया तथा अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

14. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू01 मीना देवी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि उसका मायका ग्राम विपरौली शिव, थाना वेला, जनपद औरेया में है। आज से लगभग 29 वर्ष पूर्व उसकी शादी धर्मेन्द्र कुमार शुक्ला पुत्र नरेशचन्द्र शुक्ला, निवासी ग्राम व थाना पसगवां, जिला खीरी के साथ हुई थी। शादी के 8 माह उपरांत उसके पति धर्मेन्द्र कुमार शुक्ला की मृत्यु हो गयी थी। वह अपनी ससुराल ग्राम पसगवां में ही तब से रह रही है। दिनांक 10.09.2001 को वह अपने कमरे में खाना खाकर लेटी थी, तब उसके कमरे में उसके जेठ अरविन्द कुमार उर्फ मुन्ना नहीं आये थे और न ही उसकी मर्जी के खिलाफ, जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया था। उसका पारिवारिक बंटवारा नहीं हो रहा था, जिसकी शिकायत करने ग्राम प्रधान के पास गयी थी, तो उसे लखीमपुर लेकर गये थे। उन्होंने एक प्रार्थना–पत्र टाइपिस्ट से टाइप कराया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर बनवा लिये गये थे, उसे पढ़ाया नहीं गया था और न ही पढ़कर सुनाया था। साक्षी को पत्रावली पर मौजूद कागज सं0 क5 दिखाया गया, तो साक्षी ने कहा इस पर हस्ताक्षर उसके है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। साक्षी को प्रार्थना–पत्र पढ़वाया गया, तो साक्षी ने पढ़कर कहा कि ऐसी कोई घटना उसके साथ नहीं हुई थी।

15. अभियोजन साक्षी सं01 मीना देवी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि दिनांक 10.09.2001 की घटना कोई नहीं हुई थी। अरविन्द कुमार ने उसे जान से मारने की धमकी नहीं दी थी। अरविन्द कुमार ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया है। न ही उसने अपनी सास को अपने साथ अवैध शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाली बात बतायी थी। उसके सास–ससुर ने उसके भाई को अपमानित करके घर से बाहन नहीं निकाला था। वह घटना के बारे में कभी थाने नहीं गयी। न ही वहां

उसने कोई प्रार्थना–पत्र दिया। उस समय कौन प्रधान था, उसे अब ध्यान नहीं है। प्रधान से उसने अपने पति के हिस्से की भूमि व भवन के हिस्से वाली बात बतायी थी। उन्होंने प्रधान पर इस घटना के बारे में कैसे लिखा दिया, इसकी वजह नहीं बता सकती। यह बात सही है कि उसकी डाक्टर जिला चिकित्सालय, लखीमपुर में हुई थी। साक्षी ने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 पढ़कर सुनाया गया, तो साक्षी ने कहा, उसने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था, यह बयान दरोगा जी ने कैसे लिख लिया, इसकी वजह नहीं बता सकती। अरविन्द ने न ता उसे मारा, न पीटा, न बलात्कार किया और न ही जान से मारने की धमकी दी।

16. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू02 आशुतोष शुक्ला ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि उसके सामने मीना देवी ने उसके जेठ अरविन्द कुमार के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। मीना देवी ने उसके सामने नहीं कहा कि उसके जेठ अरविन्द ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करता रहा और पेट में बच्चा रह गया। अरविन्द कुमार ने मीना देवी को मार–पीट कर गाली देकर नहीं निकाला था। उसने यह नहीं देखा था कि मीना देवी को उसके सास–ससुर खड़े हो, तब अरविन्द ने बहु को डाटा हो। दरोगा जी ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी ने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 पढ़कर सुनाया गया, तो साक्षी ने कहा, उसने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था, यह बयान दरोगा जी ने कैसे लिख लिया, इसकी वजह नहीं बता सकती। घटना वाले दिन वह घर पर नहीं था।

17. अभियोजन साक्षी सं02 आशुतोष शुक्ला ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि मीना देवी और अरविन्द कुमार का जमीन–जायदाद व कमरे को लेकर आपस में विवाद था। मीना देवी गांव के प्रधान के यहां नहीं गयी। गांव के प्रधान अरविन्द कुमार से चुनावी रंजिश मानते हैं।

18. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू03 उपेन्द्र पाण्डे उर्फ रामू ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि उसे गांव में रामू पाण्डेय के नाम से जाना जाता है। लिखा–पढ़ी में उसका नाम उपेन्द्रनाथ पाण्डेय उर्फ रामू है। घटना के बावत उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने यह सुना नहीं था। अरविन्द उर्फ मुन्ना ने मीना देवी के साथ बलात्कार किया हो।

19. अभियोजन साक्षी सं03 उपेन्द्र पाण्डे उर्फ रामू ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि दरोगा जी ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी ने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 पढ़कर सुनाया गया, तो साक्षी ने कहा, उसने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था, यह

बयान दरोगा जी ने कैसे लिख लिया, इसकी वजह नहीं बता सकती।

20. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू04 डा0 लिली सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि वह दिनांक 12.11.2001 को जिला महिला चिकित्सालय, लखीमपुर–खीरी में बतौर मेडिकल ऑफिसर कार्यरत थी। दिनांक 12.11.2001 को उसकी ड्यूटी आकस्मिक चिकित्साधिकारी, जिला महिला चिकित्सालय, लखीमपुर–खीरी में थी। दिनांक 12.11.2001 को मीना पत्नी स्व0 धर्मेन्द्र कुमार शुक्ला, निवासी ग्राम पसगवां, थाना पसगवां, जिला खीरी को कां0 रेखा रानी, थाना कोतवाली लखीमपुर से चिकित्सीय परीक्षण के लिए लेकर आयी थी। रेखा रानी ने मीना की शिनाख्त की थी। उसने मीना का चिकित्सीय परीक्षण समय 12:50 पी0एम0 पर किया था। मीना की चिकित्सीय परीक्षण में उसके बाहरी अंगों एवं अंदरूनी जननांगों में कोई इंजरी नहीं थी और न ही कोई धूल या रक्त पाया गया था। मीना के शरीर के अंदरूनी अंगों के परीक्षण में उसका हायमन पुराना फटा हुआ था। मीना के गर्भाशय में 10–12 हफ्ते का गर्भ था। मीना की आयु निर्धारण के लिए रेडियोलाजिस्ट के यहां दाहिनी कलाई एवं दाहिनी कोहनी के एक्स–रे के लिए संदर्भित किया गया था। मीना की वर्जाइनल स्मीयर तैयार की गयी थी और पैथालॉजी परीक्षण के लिए भेजी गयी थी। पैथलॉजी रिपोर्ट एवं एक्स–रे रिपोर्ट के अभाव में उसने मीना की पूरक परीक्षण आख्या तैयार नहीं हो सकी थी। मीना की पैथलॉजी रिर्पो एवं एक्स–रे रिपोर्ट के अभाव में मीना की आयु और बलात्कार के संदर्भ में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती है। पत्रावली पर उपलब्ध मीना का चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट को दिखाया गया, जिसे देखकर कहा कि यही चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में अपने लेख व हस्ताक्षर से दिनांक 12.11.2001 को तैयार की है। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट पर प्रदर्श क–2 डाला गया।

21. अभियोजन साक्षी सं04 डा0 लिली सिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि चिकित्सीय परीक्षण के दौरान मीना ने उसे यह नहीं बताया था कि उसके साथ बलात्कार हुआ है।

22. पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन साक्षी पी0डब्लू01 मीना देवी ने अपनी मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा में जो साक्ष्य दिया, उसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया कि दिनांक 10.09.2001 को वह अपने कमरे में खाना खाकर लेटी थी, तब उसके कमरे में उसके जेठ अरविन्द कुमार उर्फ मुन्ना नहीं आये थे और न ही उसकी मर्जी के खिलाफ, जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया था। उसका पारिवारिक बंटवारा नहीं हो रहा था, जिसकी शिकायत करने ग्राम प्रधान के पास गयी थी, तो उसे लखीमपुर लेकर गये थे। उन्होंने एक प्रार्थना–पत्र

टाइपिस्ट से टाइप कराया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर बनवा लिये गये थे, उसे पढ़ाया नहीं गया था और न ही पढ़कर सुनाया था। साक्षी को पत्रावली पर मौजूद कागज सं0 क–5 दिखाया गया, तो साक्षी ने कहा इस पर हस्ताक्षर उसके है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। साक्षी को प्रार्थना–पत्र पढ़वाया गया, तो साक्षी ने पढ़कर कहा कि ऐसी कोई घटना उसके साथ नहीं हुई थी। साक्षी पी0डब्लू02 आशुतोष शुक्ला व पी0डब्लू03 उपेन्द्र पाण्डे उर्फ रामू ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

23. उपरोक्त वर्णित तथ्यों, साक्ष्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन एवं विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज आपराधिक मुकदमा को बचाव करने के लिए झूठी अभियोजन कहानी बनायी गई, जो संदेह से परे साबित नहीं होती है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभियोजन पक्ष अभियोजन कथानक को अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है और जब किसी भी आपराधिक मुकदमे में अभियोजन कथानक आधा सत्य आधा झूठ हो और संदेह उत्पन्न करता हो, तो उक्त युक्तियुक्त संदेह का लाभ अभियुक्त पक्ष को दिया जाना चाहिए। अतः इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है।

24. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यह सर्व विदित सिद्धांत आपराधिक मामलों में प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने अभियोजन कथानक को प्रारंभ से लेकर अंत तक युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करे। उसका यह साबित करने का भार कभी परिवर्तित नहीं होता और यदि अभियोजन कथानक में युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता है, तो उसका फायदा अभियुक्त पक्ष को ही दिया जाता है। चूंकि यह सर्व मान्य सिद्धांत है कि आपराधिक परीक्षण कोई परियों की कहानी नहीं है, जहां कोई हवा में कल्पना करता रहे, वरन् यह उस प्रश्न से सम्बंधित है कि क्या अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य जिसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया है, से वह दोषसिद्ध है या नहीं।

25. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ''शिवाजी साहब राव बोबडे एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए0आई0आर0 1973, सुप्रीम कोर्ट, 2622 में कहा है कि यह मुख्य सिद्धांत है कि अभियुक्त अवश्य ही दोषसिद्ध होना चाहिए न की सम्भावनाओं के आधार पर, जब तक कि अभियोजन कथानक पूरी तरह से अभियुक्त को दोषसिद्ध साबित न करती हो, न्यायालय को अभियुक्त की दोषसिद्ध का निर्धारण/निर्णयन करने से बचना चाहिए।

26. उपरोक्त समस्त विवेचन/विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक तथा अभिलेखीय साक्ष्य से अभियुक्त अरविन्द कुमार उर्फ मुन्ना के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–376,323,504,506 भा0द0सं0 को अभियोजन पक्ष समस्त संदेहों से परे सिद्ध नहीं कर सका है। अतः अभियुक्त अरविन्द कुमार उर्फ मुन्ना पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा– 376,323,504,506 भा0द0सं0 से संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

27. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू01 वादिनी मुकदमा मीना देवी पत्नी स्व0 धर्मेन्द्र कुमार शुक्ला, निवासिनी ग्राम पसगवां, थाना पसगवां, जिला लखीमपुर–खीरी ने न्यायालय के समक्ष जानबूझकर तहरीर के विपरीत साक्ष्य दिया है, जिस कारण वादिनी मुकदमा मीना देवी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 383 बी0एन0एस0एस0 (धारा 344 दं0प्र0सं0) में प्रकीर्ण वाद पंजीकृत कर कार्यवाही किये जाने योग्य है।

–: आदेश :–

1. अभियुक्त अरविन्द कुमार उर्फ मुन्ना को अन्तर्गत धारा–376,323,504,506 भा0द0सं0 के आरोप से संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त उपरोक्त मामले में जमानत पर है। अभियुक्त के स्वबंध–पत्र तथा जमानतनामें खण्डित किये जाते हैं। जामिंदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

2. अभियुक्त अरविन्द कुमार उर्फ मुन्ना द्वारा धारा–437ए दं0प्र0सं0 के अनुपालन में मु0 20,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंध–पत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल किये जाये। प्रस्तुत स्वबंध–पत्र तथा जमानतनामें नियमानुसार छः माह तक प्रभावी रहेंगे।

3. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू01 वादिनी मुकदमा मीना देवी पत्नी स्व0 धर्मेन्द्र कुमार शुक्ला, निवासिनी ग्राम पसगवां, थाना पसगवां, जिला लखीमपुर–खीरी ने न्यायालय के समक्ष जानबूझकर तहरीर के विपरीत साक्ष्य दिया है, जिस कारण वादिनी मुकदमा मीना देवी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 383 बी0एन0एस0एस0 (धारा 344 दं0प्र0सं0) में प्रकीर्ण वाद पंजीकृत किया जाये। कार्यालय लिपिक उपरोक्त वादिनी मुकदमा मीना देवी के विरूद्ध कार्यवाही के लिए आदेश का अनुपालन करे।

दिनांक–04.06.2026

(दिनेश कुमार गौतम),
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बाह्य न्यायालय मोहम्मदी,
जिला लखीमपुर–खीरी।
Jo Code UP1845

उक्त निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक–04.06.2026

(दिनेश कुमार गौतम),
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बाह्य न्यायालय मोहम्मदी,
जिला लखीमपुर–खीरी।
Jo Code UP1845